रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22062026-273715
CG-MH-E-22062026-273715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948
No. 408] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 18 जून, 2026

विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2026

फा. सं. फेमा 5(आर)(6)/2026-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2016 (01 अप्रैल 2016 की अधिसूचना सं.फेमा. 5 (आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ: -

(i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (छठवाँ संशोधन) विनियमावली, 2026 कहलाएगी।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, यथा:-

"(v-ए) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के खंड (छ) में दिया गया है।"

3. मूल विनियमावली में, विनियम 5 के उप विनियम (4) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत के बाहर इसकी शाखा में (जिसमें भारत में आईएफएससी भी शामिल है), अनुसूची-4 में यथा विनिर्दिष्ट, विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है, धारण कर सकता है और रख सकता है।"

4. मूल विनियमावली में, अनुसूची 1 में, पैराग्राफ 3 में मद (जे) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(के) एनआरओ खाते से अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 के विनियम 4 के तहत विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत होगा।"

5. मूल विनियमावली में, अनुसूची 3 में, पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (बी) में, मद (iv) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(v) एनआरई या एसएनआरआर खाते में अंतरण विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2016 के विनियम 4 के तहत विनिर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत होगा।"

6. मूल विनियमावली की अनुसूची 4 में, मौजूदा पैराग्राफ 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, भारत में निवासी व्यक्ति के साथ अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन करने, इस अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली और विनियमावली के अनुसरण में, और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के साथ कोई वास्तविक लेनदेन करने के उद्देश्य से भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या भारत के बाहर उसकी शाखा में (जिसमें भारत में आईएफएससी भी शामिल है), विशेष अनिवासी रुपया खाता (एसएनआरआर खाता) खोल सकता है।

7. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 में मौजूदा अनुच्छेदें 2, 5, 6, 7, 8 को हटा दिया जाएगा।

8. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 में, मौजूदा पैराग्राफ 10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"एनआरओ खाते से एसएनआरआर खाते में अंतरण इस अधिसूचना की अनुसूची 3 के अनुसार होगा।"

9. मूल विनियमावली में, अनुसूची 4 में पैराग्राफ 15 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"16. एसएनआरआर खातों से जुड़े भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के बीच लेनदेन, जो अधिनियम या उसके तहत बनाई गई नियमावली और विनियमावली के अनुपालन के अधीन नहीं हो सकते हैं, एडी बैंक द्वारा खाताधारक के निदेश/आदेश के आधार पर किए जाएंगे, जिसमें अंतरण का अंतर्निहित उद्देश्य बताया जाएगा।"

एन सेंथिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./177/2026-27]

मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र- असाधारण – भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) जीएसआर संख्या 389 (ई), दिनांक 1 अप्रैल 2016 में प्रकाशित की गयी थी और इसे बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया, अर्थात्,-

जीएसआर संख्या 1093 (ई) दिनांक 09.11.2018

जीएसआर संख्या 498 (ई) दिनांक 16.07.2019

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(3)/2019-आरबी दिनांक 13 नवंबर 2019

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर)/(4)/2024-आरबी दिनांक 06 मई 2024

अधिसूचना सं. फेमा 5(आर) (5)/2025-आरबी दिनांक 01 जनवरी 2025

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th June, 2026

Foreign Exchange Management (Deposit) (Sixth Amendment) Regulations, 2026

F. No. FEMA 5(R)(6)/2026-RB.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 and sub-section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 5 (R)/2016-RB dated April 01, 2016) (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), namely:-

1. Short Title and Commencement: -

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Deposit) (Sixth Amendment) Regulations, 2026.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the principal regulations, in regulation 2, after clause (v), the following shall be inserted namely:-

"(v-a) 'International Financial Services Centre' or 'IFSC' shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019)."

3. In the principal regulations, the sub-regulation (4) of regulation 5, shall be substituted by the following namely:-

"Any person resident outside India may open, hold and maintain with an authorised dealer in India or its branch outside India (including in an IFSC in India), a Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account), specified in Schedule 4."

4. In the principal regulations, in Schedule 1, in paragraph 3, after clause (j), the following shall be inserted namely:-

"(k) Transfer from NRO account within the limit specified in Regulation 4 of Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016."

5. In the principal regulations, in Schedule 3, in sub-paragraph (B) of paragraph 3, after clause (iv), the following shall be inserted namely:-

"(v) Transfer to NRE or SNRR account within the limit specified in Regulation 4 of Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2016."

6. In the principal regulations, in Schedule 4, the existing paragraph 1 shall be substituted by the following namely:-

A person resident outside India may open a Special Non-Resident Rupee Account (SNRR account), with an authorised dealer in India or its branch outside India (including in an IFSC in India), for the purpose of putting through permissible current and capital account transactions with a person resident in India in accordance with the rules and regulations framed under the Act, and for putting through any bona fide transaction with a person resident outside India.

7. In the principal regulations, in Schedule 4, the existing paragraphs 2,5,6,7,8 shall be deleted.

8. In the principal regulations, in Schedule 4, the existing paragraph 10 shall be substituted by the following namely:-

"Transfer from NRO account to SNRR account shall be in accordance with the Schedule 3 of these regulations."

9. In the principal regulations, in schedule 4, after paragraph 15, the following shall be inserted namely:-

"16. Transactions between persons resident outside India involving the SNRR accounts, which may not be subject to compliance under the Act, or the Rules and Regulations framed thereunder, are to be effected by the AD bank based on instructions/mandate from the account holder that shall indicate the underlying purpose of the transfer."

N SENTHIL KUMAR, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./177/2026-27]

The Principal Regulations were published in the Official Gazette of Government of India – Extraordinary – Part-II, Section 3, Sub-Section (i) dated G.S.R. No. 389(E) dated April 1, 2016 and subsequently amended vide the following, namely,-

G.S.R. No. 1093(E) dated 09.11.2018

G.S.R. No. 498(E) dated 16.07.2019

Notification No. FEMA 5(R)/(3)/2019-RB dated November 13, 2019

Notification No. FEMA 5(R)/(4)/2024-RB dated May 06, 2024

Notification No. FEMA 5(R) (5)/2025-RB dated January 14, 2025

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA